कार्य मंत्रणा समिति

(सत्रहवीं लोक सभा)

सोलहवां प्रतिवेदन

(16.9.2020 को प्रस्तुत)

कार्य मंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार, 15 सितम्बर, 2020 को हुई।

2. समिति ने कार्य की निम्नलिखित मदों के लिए उनके सामने दर्शाए गए समय की सिफारिश की:-

(1)	भारत के राष्ट्रपति द्वारा 31 मार्च, 2020 को प्रख्यापित कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों में छूट देना) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 2) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों में छूट देना) विधेयक 2020 पर विचार तथा उसे पारित करना ।	**3 घंटे**
(2)	भारत के राष्ट्रपति द्वारा 7 अप्रैल, 2020 को प्रख्यापित संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 3) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार तथा उसे पारित करना।	**1 घंटा**
(3)	भारत के राष्ट्रपति द्वारा 9 अप्रैल, 2020 को प्रख्यापित मंत्रियों के संबलम और भत्ते (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 4) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा मंत्रियों के संबलम और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार तथा उसे पारित करना ।	**बिना चर्चा के पारित किया जाएगा**
(4)	भारत के राष्ट्रपति द्वारा 22 अप्रैल, 2020 को प्रख्यापित महामारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 5) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार तथा उसे पारित करना	**3 घंटे**
(5)	भारत के राष्ट्रपति द्वारा 24 अप्रैल, 2020 को प्रख्यापित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 6) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार तथा उसे पारित करना ।	**1 घंटा**
(6)	भारत के राष्ट्रपति द्वारा 24 अप्रैल, 2020 को प्रख्यापित भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 7) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार तथा उसे पारित करना।	**1 घंटा**

(7)	भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 जून, 2020 को प्रख्यापित आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 8) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार तथा उसे पारित करना - अध्यादेश का स्थान लेने के लिए।	**2 घंटे**
(8)	भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 जून, 2020 को प्रख्यापित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 9) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार तथा उसे पारित करना - अध्यादेश का स्थान लेने के लिए।	**2 घंटे**
(9)	भारत के राष्ट्रपति द्वारा 26 जून, 2020 को प्रख्यापित बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 12) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार तथा उसे पारित करना - अध्यादेश का स्थान लेने के लिए।	**3 घंटे**
(10)	राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 (विचार तथा पारित करना)	**1 घंटा**
(11)	राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 (विचार तथा पारित करना)	**1 घंटा**
(12)	फेक्टिरिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 (विचार तथा पारित करना)	**2 घंटे**
(13)	निम्नलिखित पर चर्चा तथा मतदान:- (एक) वर्ष 2020-21 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें। (दो) वर्ष 2016-17 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें।	**4 घंटे**
(14)	अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक, 2020 (विचार तथा पारित करना)	**2 घंटे**

3. समिति ने माननीय अध्यक्ष को सभा की सहमति लेकर निम्नलिखित मदों के लिए समय का आबंटन करने के लिए प्राधिकृत किया।

(1) भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 जून, 2020 को प्रख्यापित कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 10) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020 पर विचार तथा उसे पारित करना - अध्यादेश का स्थान लेने के लिए।

(2) 5 जून, 2020 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित कृषक (सशक्तीकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 11) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा कृषक (सशक्तीकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 पर विचार तथा उसे पारित करना - अध्यादेश का स्थान लेने के लिए।

नई दिल्ली
15 सितम्बर, 2020
24 भाद्रपद, 1942 (शक)

(ओम बिरला)
सभापति
कार्य मंत्रणा समिति